राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति0 जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नामः– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः– 60/2023

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र स्व. अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला नीम का थाना।

——————अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी श्योलाराम जाति गुर्जर निवासी गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला नीम का थाना।
2. अजयसिंह शेखावत पुत्र माधोसिंह शेखावत जाति राजपुत निवासी गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीम का थाना।
3. तहसीलदार उदयपुरवाटी जिल नीम का थाना।
4. कोयल देवी पत्नी अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला नीम का थाना।
5. नागरमल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला नीम का थाना।
6. कौशल्या पुत्री अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला नीम का थाना।

———————रेस्पोडेन्ट

अपील बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 478 स्वीकृत दिनांक 17.11.2022 वाके ग्राम गिरावड़ी भूमि ख.नं. 780/43 तादादी 1.01 हैक्टर तहसील उदपुरवाटी।

उपस्थितः– श्री हरिसिंह सैनी, अधिवक्ता ————— **अपीलान्टस**
श्री देशबन्धु शर्मा, अधिवक्ता ———————**रेस्पोडेन्ट**

निर्णय **दिनांकः– 09.05.2024**

संक्षेप्त में अपील अपीलान्ट इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं. 780/43 ग्राम गिरावड़ी बाबत् एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपु[illegible] बनाम ग्यारसीदेवी चल रहा है। दावे के साथ एक अस्थाई निषेधज्ञा का प्रार्थना–पत्र में न्यायालय [illegible]खण्ड [illegible]धिकारी उदयपुरवाटी में दिनांक 10.10.2017 को भूमि खसरा नं. 780/43 व ख[illegible] नं. 44 व 43 ग्राम [illegible] बाबत मौके कि स्थिति व राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखने का आदेश दिया था। आदेश का अंकन [illegible] में करवा दिया गया था[illegible] विपक्षी संख्या 1 ने भूमि खसरा नं. 780/43 तादादी 1.01 है0 का बे[illegible] विपक्षी नं. 02 अजय सि[illegible]क में दिनांक 23.01.2022 को बयनामा लिखवाकर दिनांक 31.01.2022 [illegible] उप पंजीयक उदयपुरवाटी यहाँ तस्दीक करवा दिया। बयनामा तस्दीक के रोज जमीन जैर बहस पर स्थगन था। अपीलान्ट ने बयनामा दिनांक 31.

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:58:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

01.2022 खसरा नं. 780/43 रकबा 1.01 है0 के निरस्ती का दावा सिविल न्यायाधीश उदयपुरवाटी के यहाँ दावा प्रस्तुत किया गया। दावा स्थगन बाबत् बहस में चल रहा था तहसीलदार उदयपुरवाटी ने पटवारी हल्का से खसरा नं. 780/43 कि तथ्यात्मक रिपॉर्ट मांगी जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 08.08.2022 को खसरा नं. 780/43 रकबा 1.01 है0 कि जाँच कर रिपॉर्ट पेश कि जमीन ग्यारसी विपक्षी संख्या 01 के नाम से है व उक्त भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का होना बताया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उक्त रिपॉर्ट का अवलोकन ना कर बाला-बाला रूप से जमीन जैर बहस का नामान्तरकरण दिनांक 17.11.2022 को विपक्षी संख्या 02 के नाम कर दिया। जमीन खसरा नं. 780/43 ग्राम गिरावड़ी बाबत् काफी मुकदमें चल रहें है जिनमें अपीलान्ट के पिता अर्जन का कब्जा माना है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश के खिलाफ स्थगन दे रखा था। इस तरफ भी नामान्तरकरण तस्दीक करने में गलती कानूनी कि है। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को जमीन के कब्जे के बाबत् पूरी जानकारी थी। अर्जनराम के देहांत के बाद में उसके वारिसान जमीन जैर बहस पर कब्जा है। नामान्तरकरण संख्या 478 तस्दीक दिनांक 17.11.2022 के बाबत् अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी परन्तु अपीलान्ट दिनांक 20.12.2022 को पटवारी से जमाबंदी कि नकल ली तो यह जानकारी हुयी। अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जावे तो दफा-5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील को अन्दर मियाद माना गया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 17.11.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कि गई एवं जरिये नोटिस रेस्पोडेन्ट का तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 ता 6 जरिये वकिल उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 4 ता 6 ने जबाब पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया एवं नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 17.11.2022 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि भूमि खसरा नं. 780/43 ग्राम गिरावड़ी बाबत् दावा/प्रार्थना-पत्र जो उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां विचाराधीन है। जिसमें मौका व रिकार्ड कि यथास्थिति का आदेश पारित किया हुआ है। न्यायालय में दावा व प्रार्थना-पत्र विचाराधीन रहते हुये के दौरान बेचान नहीं हो सकता। ग्यारसी देवी द्वारा अजय सिंह को भूमि का बेचान किया है जो विधि विरूद्ध है। बेचान जरिये विक्रय पत्र हुआ है। विक्रय-पत्र को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया है। इस भूमि के काफी मुकदमें चल रहे हैं। भूमि पर अपीलान्ट के पिता कब्जा माना है। बिना जाँच किये तहसीलदार उदयपुरवाटी ने नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं नाामान्तरकरण संख्या 478 आदेश दिनांक 17.11.2022 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने बताया कि हमने भूमि जरिये विक्रय-पत्र खरीद की है एवं खरीदशुदा भूमि पर हमारा कब्जा है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा नामान्तरकरण जाँच कर तस्दीक किया है। अपीलान्ट को बेचान गलत लगता है। तो विक्रय-पत्र को निरस्त कराने हेतु हमारे खिलाफ सिविल न्यायालय में चाराजोही करे। विक्रय-पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 478 आदेश दिनांक 17.11.2022 यथावत रखा जावें।

वकुलाय उभय पक्ष कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि नामान्तरकरण संख्या 478 आदेश दिनांक 17.11.2022 को जरिये अपील इस न्यायालय में चूनौति दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 478 के अवलोकन से पाया गया कि उक्त नामान्तरकरण विक्रय पत्र के मुताबिक भरा गया है, जब तक आधार दस्तावेज जो कि एक पंजीबद्ध दस्तावेज है को सक्षम [illegible] दिया जाता है, तब तक उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 478 जो तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा तस्दीक किया गया है। जो पूर्णतः सही प्रतीत होता है। उक्त नामान्तर[illegible] कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से [illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:58:36 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 478 आदेश दिनांक 17.11.2022 तहसीलदार उदयपुरवाटी का यथावत रखा जाता है। है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीम का थाना,

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:38:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner